राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह–9/2019 जयपुर, दिनांक : 16.07.2020

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त
2. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान

आदेश

विषयः सामाजिक दूरी संबन्धि सामान्य सावधानी निर्देश एवं व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन के नियंत्रण की सख्ती से अनुपालना।

कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान विशेषज्ञों द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में पिछले कुछ समय में अप्रत्याशित वृद्धि के निम्न प्रमुख कारण रहे हैं :–

1. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं दिशा–निर्देशों की पालना नहीं किया जाना।

2. अन्तर्राज्यीय सीमा पर व्यक्तियों का अनियंत्रित आवागमन।

3. सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी (Social Distancing) एवं मास्क पहनने के सम्बन्ध में प्रचलित कानूनी प्रावधानों की अनुपालना नहीं किया जाना।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गये निर्देशों की निरन्तरता में निम्नलिखित निर्देश पुनः जारी किये जाते हैं :–

A.

1. समस्त कार्यलयों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यस्थलों पर सभी कर्मचारियों एवं अन्य द्वारा आवश्यक रूप से फेस मास्क पहना जा रहा है तथा समुचित सामाजिक दूरी रखी जा रही है।

2. सभी सार्वजनिक स्थानों एवं परिवहन में समस्त व्यक्तियों द्वारा समुचित सामाजिक दूरी बनाया रखना सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी पालना नहीं करना जुर्माने से दण्डनीय होगा।

3. दुकानों में ग्राहकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में एक समय पर दुकानों में अधिक संख्या में व्यक्ति एकत्रित नहीं हों।

4. सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल, रेलिंग आदि को बार–बार विसंक्रमित (disinfect/sanitize) करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में अधिक आती हो, उसे छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें एवं साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होने पर सैनिटाईजर का उपयोग करें।

B.

ऊपर वर्णित सामान्य सुरक्षा सावधानियों की कियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट उपरोक्त वर्णित निद्रेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

C.

समसंख्यक आदेश दिनांक 11.7.2020 द्वारा व्यक्तियों के अन्तर्राज्जीय आवागमन पर नियंत्रण रखने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। परन्तु राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि अभी भी राज्य की सीमाओं से अवाहधित आवागमन निरन्तर जारी है। व्यक्तियो का राज्य से बाहर और अन्दर अनियंत्रित आवागम के कारण कोरोना

वायरस संक्रमण के केसेज में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसलिये सीमान्त जिलों के सभी कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षकगण को पुनः एक बार यह निर्देश दिये जाते है कि वे व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण हेतु जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना करायी जाना सुनिश्चित करें ताकि कोविड–19 के प्रसार पर रोक लगे और नियंत्रण बना रहे।

16/07/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
7. महानिदेशक जेल/होमगार्ड
8. सभी विभागाध्यक्ष
9. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
10. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
12. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
13. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(वी. सरवन कुमार)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह